न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर नोहर, हनुमानगढ़(राज.)

पीठासीन अधिकारी– संजू पारीक आर.ए.एस.

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू–राजस्व अधिनियम 1956

प्रकरण संख्या–23 / 2025

1.अदरीश पुत्र सुभान जाति कुम्हार मुसलमान निवासी नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।

–अपीलान्ट

बनाम

1. आजम अली उर्फ मुगले आजम पुत्र जैतुन जाति कुम्हार मुसलमान निवासी नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
2. नूर बेगम पुत्री सुभान जाति कुम्हार मुसलमान निवासी नोहर तहसील नोहर।
3. मकसूद पुत्र जुले खां जाति कुम्हार मुसलमान निवासी नोहर तहसील नोहर।
4. महबुब पुत्र जैतुन जाति कुम्हार मुसलमान निवासी नोहर तहसील नोहर।
5. रसीदा पुत्री सुभान जाति कुम्हार मुसलमान निवासी नोहर तहसील नोहर।
6. रिसायत अली पुत्र जैतुन जाति कुम्हार मुसलमान निवासी नोहर तहसील नोहर।
7. साहबदीन पुत्र सुभान जाति कुम्हार मुसलमान निवासी नोहर तहसील नोहर।
8. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– रेस्पोडेन्टस

अतिरिक्त जिला कलक्टर नोहर (हनुमानगढ़)

उपस्थितः– श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता अपीलांट।

श्री मदन मोहन जोशी अधिवक्त रेस्पोडेन्ट संख्या–2, 3, 5

निर्णय दिनांकः–

अपीलांट अदरीश पुत्र सुभान जाति कुम्हार मुसलमान निवासी नोहर तहसील नोहर द्वारा विरूद्ध तहसीलदार राजस्व नोहर द्वारा तस्दीक नामान्तरण संख्या 976 दिनांक 23.04.2025 रोही मौजा चक 1 एन.एच.आर. ए–तहसील [illegible] विधि विरूद्ध नामान्तरण स्वीकृत किया गया, को अपास्त कर[illegible], जिसके संक्षेप में तथ्य निम्न प्रकार है–

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanju Pareek
Date: 2026.02.12 15:56:46 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़

1. अपीलाधीन नामान्तरण सं. 976 दिनांक 23.04.2025 रोही मौजा चक 1 एन.एचआर.–ए तहसील नोहर बअदालत तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर द्वारा विधि विरूद्ध एवं एक पक्षीय होने से अपास्तनीय है।

2. पक्षकारान का कुर्सीनामा निम्न प्रकार से है–

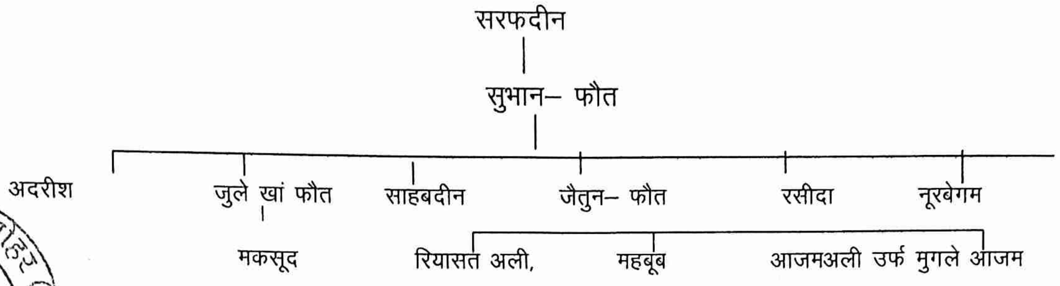

3. रोही मौजा चक 1 एन. एचआर ए तहसील नोहर के खाता सं. 169 के प.न. 310/437 मु.न. 40 के किला नं. 14 की 0.2530 हैक्टर, 15/1 की 0.0380 हैक्टर भूमि, 15/2 की 0.2150 हैक्टर, किला नं. 16/1 की 0.1010 हैक्टर 16/4 की 0.0160 हैक्टर गै.मु. रास्ता, 16/5 की 0.0160 हैक्टर गै.मु रास्ता, 17/1 की 0.1260 हैक्टर भूमि 18/1 की 0.234 हैक्टर भुमि कुल 8 किता की 0.9990 हैक्टर भूमि स्थित है, जिसके सुभान पुत्र सरफदीन खातेदार काश्तकार थे।

4. अपीलान्ट के पिता सुभान पुत्र सरफदीन जाति कुम्हार मुसलमान निवासी नोहर दिनांक 02.08.2015 को फौत हो चुके है, एवं फारसा पत्नि सुभान जाति कुम्हार मुसलमान निवासी नोहर दिनांक 16.08.2015 को फौत हो चुकी है एवं जुलें खां पुत्री सुभान दिनांक 25.06.1976 को फौत हो चुकी है एवं जैतुन पुत्री सुभान भी फौत हो चुकी है एवं अपीलान्ट एंव रेस्पोडेन्ट सं. 1 ता 6 उनके वारिसान है।

5. अपीलाधीन कृषि भूमि का नामान्तरण दर्ज करते समय अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट सं. 1 ता 7 के नाम भूमि ब.हि.ब. दर्ज कर दी गई जबकि अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट सं. 1 ता 7 मुसलमान है तथा जो कि मुसलमान विधि से शासित है। मोहम्मडन लॉ की धारा 118 के अनुसार पुत्रो का उपरोक्त कृषि भूमि में पुत्रो का 2/3 हिस्सा एवं पुत्रीयान का 1/8 हिस्सा हिस्सा की खातेदार [illegible] है परन्तु मातहत अदालत ने अपीलाधीन नामान्तरण तस्दीक करते समय अपी[illegible] पुत्र/पुत्री वारिसो का हक व हिस्सा अधिक दर्ज किया उक्त नामान्तरण अ[illegible] मोहम्मडन लॉ के विपरित है, जो कि विधि की अवहलेना में दर्ज होने के कारण [illegible]पीलाधीन नामान्तरण अपास्तनीय है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanju Pareek
Date: 2026.02.12 15:56:46 IST
Reason: SelfAttested

6. अपीलाधीन नामान्तरण स्वीकृत करने पूर्व अपीलान्ट को सुनवाई का समुचित अवसर नही दिया गया तथा उपरोक्त नामान्तरण हिन्दु विधि के मुताबिक ब.हि.ब. दर्ज कर

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

दिया गया तथा उक्त नामान्तरण तस्दीक करने से पूर्व जवाब व साक्ष्य का कोई समुचित अवसर नही दिया गया है, इसलिए अपीलाधीन नामान्तरण एक पक्षीय मनमाना व गलत है तथा विधि की अवहेलना में तथा नैसर्गिक न्याय की अवहेलना में दर्ज किया गया है जो अपास्तनीय है।

7. अपील अपीलान्ट न्यायालय हाजा के क्षेत्राधिकार एंव श्रवणाधिकार की है अन्दर मियाद पेश है।

अतःअपील अपीलान्ट प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अपीलाधीन नामान्तरण सं. 976 दिनाक 23.04.2025 जो विद्ववान तहसीलदार राजस्व नोहर निरस्त फरमाया जावे एवं मुस्लिम विधि के अनुसार दर्ज करने का आदेश फरमाया।

अपील पेश होनें पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या 2, 3, 5 की ओर से श्री मदनमोहन जोशी एडवोकेट उपस्थित हुये। रेस्पोडेन्ट संख्या 1, 4, 6, 7 रजिस्टर्ड डाक नोटिस से तामिल होनें के बाद भी उपस्थित नहीं हुये अतः रेस्पोडेन्ट संख्या 1, 4, 6, 7 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। रेस्पोडेन्ट संख्या–8 अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार नोहर से अपीलाधीन नामान्तरण की मूल पत्रावली तलब की गई। अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि नामान्तरण संख्या 976 दिनांक 23.04.2025 में अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार नोहर द्वारा सुभान के समस्त वारिसान पुत्र–पुत्रियों नाम ब0हि0ब0 दर्ज किया गया है लेकिन पक्षकारान मुस्लिम होनें के कारण पुत्रों का 2/3 पुत्रीयों का 1/3 हिस्सा दर्ज होना चाहिए था लेकिन अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार नोहर द्वारा ब0हि0ब0 दर्ज किया गया है, जो कि विधि विरूद्ध है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर नामान्तरण संख्या 976 दिनांक 23.04.2025 को अपास्त किया जावे। इस हेतु निम्न दृष्टांत प्रस्तुत किये–

1. RRT 2013(1 page no. 659 to 665,
   Harun vs. Jubeda
2. निर्णय न्यायालय अति. संभागीय आयुक्त बीकानेर अपील संख्या 18/2023
   हाकम अली बनाम जैतुन आदि

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanju Pareek
Date: 2026.02.12 15:56:46 IST
Reason: SelfAttested

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि सुभान पुत्र सरफदीन दिनांक 05.08.2015 को फौत हुए। सुभान के 5 वारिस है। सभी वारिसान के नाम ब0हि0ब0 भूमि

अतिरिक्त जिला कलक्टर नोहर (हनुमानगढ़)

दर्ज की गई, जो नियमानुसार सही है। इस विवादित भूमि का दावा न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश संख्या–02 नोहर में जैरकार है। इस हेतु निम्न दृष्टांत पेश किये–

1. AIR 1971 Page 2184 Pera No. 12
2. AIR 1970 Page No. 200

अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया एंव अधीनस्थ न्यायालय की तलबशुदा पत्रावली का अवलोकन किया गया। समस्त पक्षकारान अपीलांट एंव रेस्पोडेन्ट मुस्लिम है, इनका विरासतन नामान्तरण मुस्लिम विधि के अनुसार दर्ज किया जाना होना था लेकिन अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार नोहर द्वारा सुभान के समस्त वारिसान के नाम ब0हि0ब0 दर्ज कर कानूनी भूल की है। अधिवक्ता अपीलांट द्वारा प्रस्तुत दृष्टांत प्रकरण पर पूर्णतया चस्पा होते है।

1. RRT 2013(1 page no. 659 to 665,
   Harun vs. Jubeda
2. निर्णय न्यायालय अति. संभागीय आयुक्त बीकानेर – अपील संख्या 18/2023
   हाकम अली बनाम जैतुन आदि

अतः अपील अपीलांट स्वीकार योग्य होनें से स्वीकार की जाकर नामान्तरण संख्या 976 दिनांक 23.04.2025 को अपास्त किया जाकर पत्रावली इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित(Remand) की जाती है कि समस्त पक्षकारान की सुनवाई की जाकर नियमानुसार प्रकरण का निस्तारण किया जाना सुनिश्चित करें। अधीनस्थ न्यायालय की तलबशुदा पत्रावली निर्णय की प्रमाणित प्रति संलग्न कर लौटाई जावे। पत्रावली फैसलाशुमार होकर नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

यह निर्णय मेरे द्वारा लिखा जाकर आज दिनांक 28/11/25 को सरेइजलास सुनाया गया

अतिरिक्त जिला कलक्टर नोहर (कलेक्टर मोहर)

(संजू पारीक आर.ए.एस.)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sanju Pareek
Date: 2026.02.12 15:56:46 IST
Reason: SelfAttested